an>

Title: Need to curb the malpractices in audit of accounts in primary and pre-secondary schools under mid-day-meal and other schemes in Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) ः प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को आवंटित धन, ड्रेस, मिड डे मील व अन्य खर्चों का ऑडिट किया जाना अनिवार्य है परंतु इस ऑडिट को शिक्षा विभाग के विभिन्न सदस्यों ने उगाही का एक प्रमुख साधन बना लिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के अनुसार न्याय पंचायत रिसोर्स परसन (एनपीआरसी) व ऑडिट टीम कथित आपसी सांठ-गांठ से प्रति ऑडिट 200 रूपए वसूल रहे हैं। न्याय पंचायत रिसोर्स परसन द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची विद्यालय के हेड मास्टर द्वारा ऑडिट टीम को दिये जाने पर ऑडिट टीम के अधिकारी बिना कुछ देखे आंखें बंद कर ऐसे विद्यालयों के रजिस्टरों पर अनियमितताओं को नजरअंदाज कर हस्ताक्षर कर देते हैं। ऑडिट क्लियरेंस मिलना लगभग असंभव हो गया है। ऑडिट क्लियरेंस के बिना विद्यालयों को आगामी खर्चों के लिए धन मिलना मुश्किल हो जाता है। इस कारण न्याय पंचायत रिसोर्स परसन द्वारा अधिकारियों की दलाली के तौर पर उगाही की कथित प्रक्रिया बदस्तूर जारी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार की कथित गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही ऑडिट प्रक्रिया को सशक्त किये जाने संबंधी व्यवस्था करने का कÂट करें ताकि छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का उचित एवं निÂपक्ष रूप से मूल्यांकन किया जा सके।